राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3383/2023

नरेश सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2023

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए अधिशाषी अभियंता के पद पर पदस्थापित कर समस्त लाभ एवं वेतन आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सलूम्बर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियमों

के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। उनका कथन है कि गलत तथ्यों एवं आधारों के आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया गया है और उक्त आदेश जारी होने से पूर्व कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा उदयपुर से सलूम्बर स्थानान्तरित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध 8 आरोप लगाये गए, जबकि कमेटी के अधिकारी उदयपुर में कार्यरत हैं। उक्त निलंबन आदेश कार्मिक विभाग के अनुमोदन के बगैर जारी किया गया। जबकि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के द्वारा कार्मिक विभाग का 15 दिवस के भीतर अनुमोदन निलंबन आदेश के लिए आवश्यक है और वर्तमान मामले में उक्त विभाग द्वारा कोई अनुमोदन नहीं लिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को झूठे आरोप के आधार पर निलंबित किया गया है तथा अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप निराधार हैं और इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए अधिशाषी अभियंता के पद पर पदस्थापित कर समस्त लाभ एवं वेतन आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि विभागीय आदेश दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया था। कार्यालय सलूम्बर में कार्यरत तत्कालीन अधिशाषी अभियंता अपीलार्थी के विरूद्ध शासन उप सचिव, पीएचईडी के आदेश दिनांक 01.05.2023 के द्वारा पीएचईडी ग्रामीण एवं सलूम्बर के अधीन चल रहे कार्यों में अनियमितता/निम्न गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त होने से खण्ड सलूम्बर में गत तीन वर्षों में सम्पादित वर्तमान में चल रहे कार्यों की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसमें अधिशाषी अभियंता तृतीय, अधिशाषी अभियंता (सीएमआई) एवं सहायक लेखाधिकारी प्रथम को जांच दल में नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा 8 निविदाओं के चले रहे कार्यों की जांच की गई और जांच रिपोर्ट विशेष जांच दल द्वारा दिनांक 10.05.2023 को कार्यालय मुख्य अभियंता पीएचईडी, जयपुर प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी पर गंभीर आरोप मानते हुए निलंबित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया निलंबन आदेश विधि एवं नियमों के अनुसार जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, जिनका कोई आधार नहीं है और निलंबन आदेश जारी करते समय कार्मिक विभाग से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योगेश आचार्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें निलंबन आदेश को अपास्त किया गया है। इसी प्रकार एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9188/2023 में पारित निर्णय की ओर भी अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश भी विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सलूम्बर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियमों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। जहां तक अपीलार्थी पर बिना आधार के जांच दल द्वारा लगाये गये आरोप के आधार पर निलंबन किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि तत्कालीन अधिशाषी अभियंता अपीलार्थी के विरूद्ध शासन उप सचिव, पीएचईडी के आदेश दिनांक 01.05.2023 के द्वारा पीएचईडी ग्रामीण एवं सलूम्बर के अधीन चल रहे कार्यों में अनियमितता/निम्न गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त होने से खण्ड सलूम्बर में गत तीन वर्षों में सम्पादित वर्तमान में चल रहे कार्यों की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसमें अधिशाषी अभियंता तृतीय, अधिशाषी अभियंता (सीएमआई) एवं सहायक लेखाधिकारी प्रथम को जांच दल में नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा 8 निविदाओं के चले रहे कार्यों की जांच की गई और जांच रिपोर्ट विशेष जांच दल द्वारा दिनांक 10.05.2023 को कार्यालय मुख्य अभियंता पीएचईडी, जयपुर प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी पर गंभीर आरोप मानते हुए निलंबित किया गया। इस प्रकार हमें अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य